न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 13/2010 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2010/00005**

1. भीखाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी अम्बासर तहसील बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सुशीला पत्नी जगदीश जाति मेघवाल साकिन अमरसिंहपुरा, बीकानेर।
2. जीतनलाल पुत्र श्री खुमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम आम्बासर।
3. जड़ाव पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
4. नत्थुराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
5. बुलाकी राम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
6. अमरचन्द पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
7. भानीराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
8. सोमती पत्नि धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
9. सोहनलाल पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
10. राधेश्याम पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
11. तोलाराम पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
12. अशोक कुमार पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
13. मंजु पुत्री धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर हाल नापासर तहसील बीकानेर।
14. दुर्गा पुत्री धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
15. जेठाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर तहसील बीकानेर।
16. रूपा पुत्री पेमाराम पत्नि खेमाराम जाति मेघवाल निवासी झझु तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
17. गवरा पुत्री पेमाराम पत्नि भगाराम जाति मेघवाल निवासी झझु तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
18. धापु पुत्री खुमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मेघासर।
19. लाछा पुत्री खुमाराम पत्नि मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ी जसोलाई, बीकानेर।
20. रूखमा पुत्री खुमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम अम्बाराम।
21. नेनी पुत्री खुमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मेघासर।

— रेस्पोन्डेंट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः प्रेम प्रकाश मदान — अभिभाषक अपीलांट
एस.एन तिवाड़ी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
विनोद कुमार पुरोहित

निर्णय

दिनांक 30.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम आम्बासर के खसरा नंबर 117 की 8.30 हैक्टयर भूमि, खसरा नंबर 118 की 0.15 हैक्टसर भूमि, खसरा नंबर 153 की 1.21 हैक्टयर भूमि, खसरा नंबर 154 की 6.97 हैक्टसर कुल तादादी 16.63 हैक्टयर कृषि भूमि जीतनराम, धापू, लाछां, नैनी और रूखमा पिसरान खुमाराम बहिस्सा बराबर 5/6 हिस्सा, जड़ाव पत्नि भंवरलाल, नत्थुराम, बुलाकीराम, अमरचंद, भानीराम पिसरान भंवरलाल बहिस्सा बराबर 1/30 हिस्सा, सोमती पत्नि स्व. धुड़ाराम, साहनलाल, राधेश्याम, तोलाराम, अशोक कुमार, मंजू, दूर्गा पिसरान धूड़ाराम बहिस्सा बराबर 1/30 हिस्सा, जेठाराम, रूपा, गवरा पिसरान पेमाराम बहिस्सा बराबर 1/30 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। इस खाते के सहिस्सादार धापू पुत्री खुमाराम, लाछां पुत्री खुमाराम, रूखमा पुत्री खुमाराम, नैनी पुत्री खुमाराम ने अपना हिस्सा 4/6 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर संबंधित हल्का पटवारी ने इंतकाल संख्या 365 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत आम्बासर ने अपीलांट के प्रार्थना–पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 05.01.2009 पारित करते हुए अपीलांट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत अम्बासर के आदेश दिनांक 05.01.2009 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपील यह कहते हुए स्वीकार किया कि इंतकाल संख्या 365 अवैध होने से निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के दादा अण्दा वल्द शिवजी जाति मेघवाल निवासी ग्राम आम्बासर की जायदाद खसरा नंबर 59 तादादी 66 बीघा 11 बीस्वा भूमि ग्राम अम्बासर जिसके वर्तमान खसरा नंबर 117 तादादी 8.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 118 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नंबर 153 तादादी 1.21 हैक्टयर, खसरा नंबर 154 तादादी 6.97 हैक्टयर कुल तादादी 16.63 हैक्टयर भूमि कायम हुई। जिसमें अपीलांट के दादा अण्दा का 1/2 हिस्सा जायदाद रहा क्योकि अणदा मोठिया का टीनेन्ट था जो 2012 से था और उक्त जायदाद में उसका हिस्सा 1/2 था और वो ऑटोमेटिक खातेदार काश्तकार हो गया क्योकि 2012 के टीनेन्ट को ऑटोमेटिकली खातेदारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उक्त जायदाद में रेस्पोडेंट 1 सुशीला देवी ने लाछा, नेनी, धापू, एवं रूकमा के मुख्तयारआम जगदीश से भूमि खरीद कर ली जबकि खुमाराम का जायदाद में 1/2 हिस्सा था लेकिन वो 1/2 हिस्से से ज्यादा की सेलडीड करवा दी गई। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सेलडीड के आधार पर इंतकाल दर्ज कराने का प्रयास किया तो अपीलांट ने भी ग्राम पंचायत के यहां 1/2 हिस्से की खातेदारी की भाग की, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खुमाराम के हिस्से की भूमि से ज्यादा खरीद की। ग्राम पंचायत आम्बासर ने अपीलांट को 1/2 हिस्से की भूमि का हिस्सेदार मान लिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का 4/12 हिस्सा मान लिया तथा अन्य सहखातेदारों का भी हिस्सा तय कर दिया। ग्राम पंचायत अम्बासर ने तमाम कार्यवाही दिनांक 5.01.2009 को तय की, जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपील अधीनस्थ न्यायालय में 18.02.2009 को प्रस्तुत की गई थी और प्रथम ऑर्डरशीट में अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज करने के आदेश पारित किये थे और पत्रावली भी अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के तलब करने के आदेश दिये थे उसके बाद पत्रावली 18.03.2009 मुकर्रर कर दी गई। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब किये पूण्र ही पत्रावली का फैसला कर दिया इस कारण हुकम अदालत मातहत निरस्त किये जाने योग्य हैं। जब पत्रावली 03.08.2009 को पत्रावली मुकर्रर कर दी। 03.08.2009 को रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 21 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही कर दी और 06.08.2009 को अपीलांट की ओर से धारा 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 10 की बहस हुई थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.03.2010 को पुरी अपील का ही फैसला कर इंतकाल जो 05.01.2009 को ग्राम पंचायत आम्बासर ने दर्ज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया था उसे निरस्त कर दिया। अपीलांट के दादा अणदा 2012 का टीनेन्ट था। अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही को स्थगित करनी चाहिए थी और नजीरात भी प्रस्तुत किए गई थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो को नजीरों का हवाला दिया ना ही कार्यवाही स्थगित की। अधीनस्थ न्यायालय में लिमिटेशन का पोईन्ट भी निहित था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यों पर गौर नही करके फैसला देने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आनन–फानन में तामील की कार्यवाही पुरी करवाकर फैसला करवा लिया जबकि तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में बहस भी नही हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गलत सेलडीड के आधार पर अपीलांट को बेदखल करने आया तब अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर के यहां दावा पेश किया और दावे में स्थगल चल रहा है। उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख दी थी उसके बावजूद भी पूर्ण अपील का फैसला करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रजिस्ट्री रेस्पोडेंट को करने का आदेश दिया जबकि रजिस्ट्री करने से पूर्व सर्वप्रथत साधारण तौर से अपील के सम्मन जाने चाहिए थे लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साधारण तौर पर कोई नोटिस रेस्पोडेन्ट को नही भिजवाये सीधे ही रजिस्ट्री आम्बासर के गांव के पते पर करवा दी जबकि सभी रेस्पोडेन्ट अलग–अलग गांव में व शहर में रहते हैं जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रही है उसके बावजूद भी उसने बिना साधारण तामील करवाये रजिस्टी करवा दी जबकि ऑर्डर 5 रूल 9 में स्पष्ट है कि किसी साधारणतया नोटिस भिजवाये जायेगें उसके बाद ही यदि तामील कारणवश नहीं हो रही है जो रजिस्ट्री करवायी जायेगी उसके लिये विशेष कारण देना पडेगा लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न तो नोटिस साधारणतया पते पर भेजे ना ही कभी उस पते पर कोई नोटिस साधारणतया पत पर भेजे ना ही कभी उस पते से गांव वाले यह बताते कि फलां फलां रेस्पोडेन्ट फलां फलां पते पर रहता हैं लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आनन–फानन में तामील की कार्यवाही पूरी करवाकर फैसला करवा लिया जबकि इन तमाम तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के यहां बहस भी नहीं हुई। ग्राम पंचायत आम्बासर में अपीलांट के दादा का 1/2 हिस्सा मानकर ही उसका नाम दर्ज किया है क्योंकि 2012 से पहले का वो टीनेन्ट रहा है और उसका 1/2 हिस्सा कायम किया है और कब्जा भी 2012 से अपीलांट का ही चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 18 से 21 ने यदि अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय पत्र कराया है तो उसक विक्रय की कोई अहमियद नहीं है। ग्रम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पंचायत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का 4/12 हिस्सा इंतकाल दर्ज कर दिया जो इंतकाल इतना ही होता था उतना ही दर्ज किया है। स्थिति में इंतकाल संख्या 365 पूर्णतः सही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर हुकम अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 16.03.2010 निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम पंचायत आम्बासर का इंतकाल संख्या 365 दिनांक 05.01.2009 रेस्टोर फरमाया जावें। अपीलांट अभिभाषक ने इस संबंध में निम्न कानूनी नजीराज पेश हैः–

1. डी.एन.जे 2009 (1) राजस्थान हाईकोर्ट पेज नं. 224
2. आर.आर.डी 1992 पेज नंबर 304
3. सी.डी.आर 2005(3) पेज नं. 2319 राजस्थान हाईकोर्ट
4. आर.एल.डब्ल्यू 1984 पेज नं. 573
5. आर.एल.डब्ल्यू 1972 पेज नं. 525
6. आर.एल.डब्ल्यू 1973 पेज नं. 674
7. डब्ल्यू.एल.एन 1970 (1) पेज नं. 457

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त वादगत भूमि में जितनलाल, धापू, लाछा, नैनी, रूक्खमा का 5/6 हक व हिस्सा निहित रहा था एवं 1/6 हिस्सा अन्य सहखातेदारान का निहित था। अपीलांट ने अपनी अपील में सम्पूर्ण भूमि पर अपने दादा अणदा का 1/2 हिस्सा 2012 से पूर्व का काश्तकार होने के कारण माना तथा अपने आप को उपरोक्त भूमि का ऑटोमेटेकली खातेदारी प्राप्त होने का कथन किया । कानूनन इंतकाल की अपील जो की फिस्कल प्रोसेडिंग है। इस प्रोसेडिंग में उक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। कोई काश्तकार किसी का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट है तो उसे रेगुलर राजस्व वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाही है। उक्त प्रकरण में यह संभव नही है। ना ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में या प्रस्तुत प्रकरण में इस प्रकार के काई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये, जिससे यह साबित हो सके की वह या उसके दादा सब टिनेन्ट रहे है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक नियमित वाद सहायक कलक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 23.03.2010 को खारिज हो गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत की गई। वह भी दिनांक 23.05.2011 को खारिज हो गई। अपीलांट द्वारा अपने अपील के पैरा संख्या 4, 5, 7 एवं 11, 12 में धारा 10 सीपीसी के आधार पर निर्णय प्रदान नही किया। इस बाबत आपत्ति प्रस्तुत की है। धारा 10 सीपीसी कानूनन बाद प्रस्तुत हुए मामलों पर लागू होती है। दफा 10 जाब्ता दिवानी की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भाषा से स्पष्ट है कि वह भी स्टे होगें जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या उसमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्वतनः संस्थित वाद में प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद है उपरोक्त भाषा से स्पष्ट है दोनों प्रकरण वाद यानि दावा ही होने चाहिए ना कि अपील, प्रस्तुत प्रकरण अपील है तथा जो प्रकरण पूर्व से जैरकार है वह दावा है। इस कारण उक्त तथ्य मामले हाजा पर लागू नहीं होते है। इस कारण भी अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं इस बिन्दू पर नजिरात आरआरटी 2009 पेज नं. 451, आरआरडी 1996 पेज नं. 120 एवं आरबीजे 2004 पेज नंबर 244 को अवलोकनीय बताया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने में जो अपील प्रस्तत की वह 10 दिन देरी से प्रस्तुत की गई थी। इंतकाल संख्या 365 पर जो निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया गया वह क्षेत्राधिकार से बाहर था। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में इसको आधार बनाया है। इंतकाल संख्या 365 अदालत मातहत के निर्णय के अनुसार अवैध था। इस कारण मियाद का कोई महत्व नहीं रहा। अदालत मातहत ने धारा 5 को प्रार्थना–पत्र को खारिज नही किया तो इस बिन्दु पर अपीलय न्यायालय को दखल करने का अधिकार नहीं है। इस बिन्दू पर नजीरात आरआरडी 1995 पेज 774 एवं आरआरडी 2006 पेज 502 को अवलोकनीय बताया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा भूमि क्रय कर लेने के बाद जो इंतकाल की कार्यवाही ग्राम पंचायत ने विक्रय पत्र के खिलाफ जाकर सुशीला देवी का 4/6 के स्थान पर 4/12 हक व हिस्सा प्रदान किया एवं भीखाराम को 1/2 हिस्सा दिये जाने के आदेश प्रदान किये उक्त निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के प्रदान किया जाने के कारण शुरू से **Nullity** जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी समय खारिज किया जा सकता है। इस बिन्दु पर नजिरात आरआरडी 1996 पेज नं. 457 एवं आरआरडी 1997 पेज नं. 224 को अवलोकनीय बताया। नामांतरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसंडिग की कार्यवाही में आती है। कानूनन नामांतरकरण की कार्यवाही में काश्तकारी अधिकार तय नहीं किये जाते है। उक्त अधिकार केवल नियमित वाद मे ंही तय हो सकते है। इस बिन्दू पर नजिरात आरआरटी 2008 पार्ट 1 पेज नंबर 241 को अवलोकनीय बताया। अपीलांट द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर में प्रस्तुत कर रखा था। जो दिनांक 23.03.2010 को खारिज हो गया। उक्त आदेश की अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील भी दिनांक 23.05.2011 को खारिज हो गई। दोनों ही राजस्व

न्यायालय द्वारा अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हित नहीं माना। इसके अलावा अपीलांट ने अपने अपील के अनुतोष मे भी यही अनुतोष चाहा है कि दावे के निर्णय तक अपील की कार्यवाही को स्थिगित किया जावे। जबकि दावा उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत हो जाने के बाद खारिज हो चुका है। उक्त खारिज आदेश क विरूद्ध हो अपील राजस्थान अपील अधिकारी को प्रस्तुत की गई वह भी खारिज हो चुकी है। इस कारण अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। इस बिन्दू पर नजिरात आरआरटी 2008 पार्ट 1 पेज नं. 228 एवं आरआरडी 2005 पेज 637 को अवलोकनीय बताया। उक्त वादगत भूमि के सहिस्सादार धापू पुत्री खुमाराम, लाछां पुत्री खुमाराम, रूखमा पुत्री खुमाराम, नैनी पुत्री खुमाराम ने अपना हिस्सा 4/6 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर संबंधित हल्का पटवारी ने इंतकाल संख्या 365 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के समक्ष प्रस्तुत करने पर नियमों के विरूद्ध अपीलांट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर किसी का हिस्सा कम या ज्यादा करते हुए इंतकाल तस्दीक किया है जो खिलाफ कानून है। ग्राम पंचायत आम्बासर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल दर्ज किया जाना था परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर संयुक्त खातेदारों का हिस्सा का कम–अधिक कर इंतकाल तस्दीक किया गया जो कानून के बाहर एवं क्षेत्राधिकार विहीन है। वादगत भूमि के संबंध में बैयनामा रजिस्टर्ड है और किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। ग्राम पंचायत आम्बासर ने रजिस्टर्ड बैयनामें के होते हुए भी अपने स्तर पर जिस प्रकार से इंतकाल तस्दीक किया है जो नियमों के विरूद्ध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 16.03.2010 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा लिखित बहस एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि ग्राम आम्बासर के खसरा नंबर 117 की 8.30 हैक्टयर भूमि, खसरा नंबर 118 की 0.15 हैक्टसर भूमि, खसरा नंबर 153 की 1.21 हैक्टयर भूमि, खसरा नंबर 154 की 6.97 हैक्टसर कुल तादादी 16.63 हैक्टयर भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रजिस्टर्ड बैयनामे के आधार पर संबंधित हल्का पटवारी ने इंतकाल संख्या 365 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 05.01.2009 पारित करते हुए अपीलांट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2010 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के उक्त इंतकाल संख्या 365 दिनां 05.01.2009 को क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुए खारिज कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2010 वादगत भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने सरपंच ग्राम पंचायत आम्बासर के रिकॉर्ड को तलब का आदेश जारी किया, परन्तु बिना ग्राम पंचायत की पत्रावली को तलब किये पूर्व ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2010 पारित किया गया। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2010 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर